न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
42 / 2015 / प्रा.पत्र / 2015	20.04.2015	22.09.2022

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.............प्रार्थी

बनाम

1–श्री बालचन्द सबनानी पुत्र श्री मोहन दास सबनानी एफ.बी.ओ. मैसर्स सोनु जनरल स्टोर झिलाय रोड निवाई जिला टोंक निवासी डी–1 इन्द्रा कॉलोनी श्याम बाबा मन्दिर के पास निवाई जिला टोंक राज.
2–मैसर्स सोनु जनरल स्टोर झिलाय रोड निवाई जिला टोंक
3–श्री प्रमोद कुमार गोयल पुत्र श्री शिवशंकर प्रोपरायटर / एफ.बी.ओ. मैसर्स सांवरिया ट्रैडिंग कम्पनी जी–1 ग्राउण्ड फ्लोर रॉयल टावर लालकोठी डिस्ट्रिक्टि शोपिंग सेन्टर टोंक रोड जयपुर निवासी 8 / 380 विद्याधर नगर सेक्टर–8 वार्ड नं. 4 विद्याधर नगर जयपुर राज.
4–मैसर्स सांवरिया ट्रैडिंग कम्पनी जी–1 ग्राउण्ड फ्लोर रॉयल टावर लालकोठी डिस्ट्रिक्टि शोपिंग सेन्टर टोंक रोड जयपुर

.........अप्रार्थीगण

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अभिभाषक अप्रार्थी।

:–निर्णय–:

दिनांक 22.09.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.08.2014 को समय 12:24 पीएम पर मैसर्स सोनु जनरल स्टोर झिलाय रोड निवाई जिला टोंक राज. पर पहुंचा। वहां पर श्री बालचन्द सबनानी पुत्र श्री मोहन दास सबनानी मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री बालचन्द सबनानी ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. / मालिक होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **अजवाइन साबुत (नटराज) पोली पैक** 1–1 किलोग्राम के 25 नग प्लास्टिक के कट्टे में रखे हुये थे, जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री बालचन्द सबनानी को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में एफ. बी.ओ श्री बालचन्द सबनानी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **अजवाइन साबुत (नटराज) पोली पैक** वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 1–1 किलोग्राम के 4 नग खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **अजवाइन साबुत (नटराज) पोली पैक** 1–1 किलोग्राम के 4 नग को अलग–अलग चार साफ व सूखे चौकोर डिब्बों में 1–1 किलोग्राम रखा एवं डिब्बों के ढक्कन को अच्छी तरह एयर टाईट बन्द किया, एवं चारों भाग हेतु चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–769 एवं पूर्ण विवरण अकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–769 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने मौके पर श्री बालचन्द सबनानी पुत्र श्री मोहन दास सबनानी एफ.बी.ओ. मैसर्स सोनु जनरल स्टोर झिलाय रोड निवाई जिला टोंक से वारंटी बिल मांगा तो मौके पर श्री बालचन्द सबनानी ने किसी अन्य फर्म का वारंटी बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

श्री बालचन्द सबनानी पुत्र श्री मोहन दास सबनानी एफ.बी.ओ. मैसर्स सोनु जनरल स्टोर झिलाय रोड निवाई जिला टोंक ने मैसर्स सांवरिया ट्रैडिंग कम्पनी जी–1 ग्राउण्ड फ्लोर रॉयल टावर लालकोठी डिस्ट्रिक्टि शोपिंग सेन्टर टोंक रोड जयपुर से उक्त अजवायन क्रय करने का वारंटी बिल दिया प्रस्तुत किया तो आवेदक ने मैसर्स सांवरिया ट्रैडिंग कम्पनी जी–1 ग्राउण्ड फ्लोर रॉयल टावर लालकोठी डिस्ट्रिक्टि शोपिंग सेन्टर टोंक रोड जयपुर को फार्म नं. 5ए व अन्य दस्तावेज हेतु पत्र प्रेषित किया जिस पर उक्त फर्म ने फर्म के नॉमिनी का नाम व पता तथा फर्म का लाईसेंस प्रस्तुत किए।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 14 / 10 दिनांक 27.10.2014 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एल.एस. / 389 / एफ.एस.एस.ए. / 2014 / 396 दिनांक 01.09.2014 के अनुसार विकेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **अजवाइन साबुत (नटराज) पोली पैक** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

गया। अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्मों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से दिनांक 07.01.2016 को श्री विक्रम जैन एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं जवाब पेश करने हेतु समय चाहा परन्तु जवाब हेतु कई अवसर देने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया। अप्रार्थी सं. 3 व 4 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया परन्तु अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं हुए। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **अजवाइन साबुत (नटराज) पोली पैक** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **अजवाइन साबुत (नटराज) पोली पैक** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 30,000/– (अक्षरे तीस हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 2,00,000/–(अक्षरे दो लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 22.09.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(परशुराम धानका)
न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक